होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र–26

क्रमॉक 1296-A /निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनांक 28.08.18

प्रति,

1– समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश ।
2– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश ।

विषयः– उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ 2016 में मेला डियूटी हेतु नामांकित किये अस्थाई स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्थायी कम्पनी बल में सम्मिलित कर उनके प्रशिक्षण इत्यादि बावत् ।

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि अभी हाल ही में शासन के एतिहासिक निर्णय के पालन में मुख्यालय व्दारा सिंहस्थ 2016 के अस्थायी नामांकित स्वयंसेवकों को जिले में होमगार्ड सैनिकों के रूप में जिले की बल संख्या में शामिल किया गया है । जिले में नव नियुक्त जवानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय में बेसिक प्रशिक्षण प्रारम्भ होने तक निम्नानुसार संचालित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे नवनियुक्त जवानों का अच्छा टर्न आउट एवं अनुशासन में रहते हुए विभागीय गतिविधियों तथा आपदा प्रबंधन के कौशल में वृद्वि की जा सके ।

1– सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाय, जिसके ***प्रथम सत्र*** में दौड़ / पी0टी0/योगा /फुट ड्रिल / मार्च पास्ट/ होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन की कार्य प्रणाली तथा अधिनियमों /प्रावधानों की जानकारी तथा ***द्वितीय सत्र*** में आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने की जानकारी यथा प्रथमोपचार, सर्च एण्ड रेस्क्यु, बाढ़ आपदा प्रबंधन, फायर फायटिंग इत्यादि के साथ–साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा मध्यप्रदेश आपदा प्रबंधन नीति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इत्यादि के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाये ।

2– नवनियुक्त जवानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधनो की कमी होने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त कमी को पूर्ण करने का प्रयास सुनिश्चित किया जावे ।

3– नवनियुक्त जवानों के टर्न आउट, गणवेश तथा अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे विभाग की गरिमा को उच्चतम स्तर पर स्थापित किया जा सके । सुझाव है कि निर्धारित वर्दी के अतिरिक्त जवानों के गणवेश एवं टर्न आउट में एकरूपता के लिए जवानों को प्रोत्साहित कर स्वयं के व्यय पर सफेद टीशर्ट (इस पर नेवी ब्ल्यू रंग से होमगार्ड अंकित किया जा सकता है) तथा नेवी ब्लयू रंग का लोवर एव नीले रंग के स्पोर्टस् जूते क्रय करने हेतु प्रयास किया जावे ।

4– प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ही जवानों में सहकारी मैस के संचालन की व्यवस्था प्रारम्भ की जावे।

5– जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित कार्यपालिक बल / एन0सी0ओ0 / जवानों के माध्यम से किया जाये । भर्ती के दौरान जिन स्वयंसेवकों की प्रोफाइलिंग की गयी, उनसे कार्यलयीन कार्य जैसे लेखा संबंधी कार्य, कम्प्युटर कार्य, टायपिंग कार्य, डायविंग कार्य, **ट्रेडमैन** कार्य, तैराकी, स्पोर्टस तथा अन्य कार्य इत्यादि के मापदण्ड के अनुसार उन्हें डियूटी पर लगाकर कार्य प्रारम्भ कराया जावे । अगर योग्य स्वयंसेवी इच्छुक हो तो उन्हें अन्य सम्भाग में जैसे जबलपुर, रीवा, शहडोल तथा सागर जहॉ भर्ती नहीं हुई है वहॉ भी स्थानातंरित करने पर विचार किया जा सकता है ।

–2–

6– **उपरोक्त नवनियुक्त स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों में से 550/600 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिको को एस0डी0आर0एफ0 में प्रतिनियुक्ति का सैद्वांतिक तौर पर निर्णय लिया गया है । इस हेतु 05 सम्भागों में से क्रमशः सम्भाग भोपाल से 100, होशंगाबाद से 50, इन्दौर से 200, उज्जैन से 150 तथा ग्वालियर से 100 नवनियुक्त होमगार्ड सैनिकों को एस0डी0आर0एफ0 नियमों में दर्शाये गये मापदण्डों के अनुसार सम्भागीय स्तर पर पैनल तैयार कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनुमोदन प्रदाय करने हेतु प्रस्तुत किये जावे,** जिससे कि एस0डी0आर0एफ0 में रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके ।

7– उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विभाग में नवनियुक्त स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों की सकारात्मक उर्जा तथा उत्साह का उपयोग विभाग की उच्चतम गरिमामय स्तर को स्थापित करने के साथ–साथ प्रदेश में इन जवानों का कानून व्यवस्था, अन्य डियूटियों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हो सकेगा ।

(महान भारत सागर)
महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमॉक 1296-B/निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनांक 24-08-18

प्रतिलिपिः–

1– एडीशनल डायरेक्टर जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
2– एडीशनल डायरेक्टर जनरल, एस0डी0ई0आर0एफ0 मध्यप्रदेश भोपाल ।
3– उप महानिरीक्षक, एस0डी0ई0आर0एफ0 मध्यप्रदेश भोपाल ।
4– एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर ।

महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश